## उत्तर प्रदेश शासन

## राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1432/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.246-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(302)-2023

लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर ,2023

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थातः-

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "क94 | 1901 | श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न अन्तर्विष्ट हो, और प्री-पेकेज्ड एवं लेबल से भिन्न किया गया हो" |

2 यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

31/10/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव